Title: Need to withdraw the increased rent and enhance the facilities of Swati Girls Working Hostel, Sandhya Senior Citizens Hostel and Indira Niketan Working Girls Hostel in Delhi.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से शून्यकाल में सूचना देना चाहूंगा कि नई दिल्ली पालिका समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित 'स्वाति वर्किंग गर्लस होस्टल' संध्या सीनियर सिटिजेंस होस्टल, इंदिरा निकेतन वर्किंग गर्लस होस्टल दिल्ली में है। जिसमें देश के कोने-कोने से आई हुई लगभग ६०० कामकाजी महिलाएं रहती हैं।

ज्यादातर दक्षिण भारत की हैं। तमाम महिलाएं अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं। वे सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में कार्यरत हैं। होस्टल के डारमिटरी में १०-१२ तथा ३-४ लड़कियां एक-एक कमरे में नर्क सा जीवन व्यतीत कर रही हैं। महिला कल्याण संरक्षण के लिए बने इन तीनों होस्टलों का सरकार ने किराया बढ़ा दिया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि महिला कल्याण संरक्षण के तहत होस्टलों की सुविधा में सुधार लाया जाए और बढ़े हुए किराए को वापस लिया जाए क्योंकि वे महिलाएं इतना किराया नहीं दे सकतीं। स्वाति गर्लस वर्किंग होस्टल, संध्या सीनियर सिटिजन्स होस्टल और इन्दिरा निकेतन वर्किंग गर्लस होस्टल दिल्ली में है। यह कल्याण संबंधी मामला है।

... (व्यवधान)

सभापति महोदय : जीरो आवर में स्पीच नहीं होती। बोलने वालों की बहुत लम्बी लिस्ट है। अब आप खत्म करिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह बढ़े हुए किराए को वापस ले। वह होस्टल में आमूलचूल सुधार करे। सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील (हिंगोली) : सभापति महोदय, २५ सांसदों ने अधिकारों के हनन के विषय में चार तारीख को प्रिवलेज नोटिस दिया था। उस विषय पर बोलने की मुझे अनुमति दी जाए।

... (व्यवधान)

Are you allowing me?

MR. CHAIRMAN : I was also there in the House. Hon. Speaker said that he would consider the case and then inform you.

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : हम २५ सांसदों ने चार तारीख को अधिकारों के हनन के विषय में जो नोटिस दिया था, उसका वह उत्तर नहीं था। मैं जीरो आवर में जो बोल रही थी, वह उसका उत्तर था। हमने चार तारीख को अलग से नोटिस दिया है। मैं उस विषय पर बोलना चाहती हैं। मैं इसके लिए अनुमति मांग रही हूं।

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीकर द्वारा प्रिवलेज मोशन पर कंसिडर होने के बाद बोलने का मौका मिलता है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मैंने जीरो आवर में एक तारीख को मामला उठाया था। २५ सांसदों ने चार तारीख को नोटिस दिया था। नोटिस के बाद इसे उठाने का हमें अधिकार है। हम उसे उठाने की आपसे अनुमति मांग रहे हैं।

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि नोटिस देने के बाद अपने आप या ऑटोमैटिकली राइट नहीं बनता। स्पीकर की अनुमति के बाद आपका राइट बनता है।

श्रीमती सूर्यकांता पाटील : मुझे यह बात मालूम है। मैं भी वही कह रही हूं।

सभापति महोदय : वह कंसिडरेशन स्टेज में है। वह अभी एडमिट नहीं हुआ है।